न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 07 / 2018
तारीख दायरः 25.01.2018

उनवान

1. सत्येन्द्र कुमार पिता मनोहरलाल जाति पारीक निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।

---प्रार्थी

बनाम

1. देबीलाल पिता नाना जाति गुर्जर निवासी दाताड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा। हाल मुकाम ठिकरिया उर्फ चैनपुरिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

---अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांकः 17.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की मोजा मानपुरा, पटवार हल्का माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ की आराजी नम्बर 2173 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, स्थित है। इस भूमि पर आने जाने पैदल बैलगाड़ी ट्रेक्टर मोटर साईकिल लाने ले जाने का रास्ता ग्राम मानपुरा से चैनपुरिया उर्फ ठिकरिया आने जाने के लिये रोड़ से फटकर विपक्षी की खातेदारी व कब्जे याबी की आराजी नम्बर 2186 की दक्षिणी मेर पर 12 फीट चौड़ा रास्ता अवस्थित है। प्रार्थी और सहकाश्तकार द्वारा रास्ते से विगत 100 वर्षो से सतत् निरन्तर निर्वविवाद साधिकार रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विपक्षीगण ने आराजी नम्बर 2186 के दक्षिणी मेर पर स्थित रास्ते को सम्वत 2074 के आशाढ माह में हांककर फसल काश्त कर दी। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के रास्ते को अवरूध कर दिया जिसे खुलासा करवाया जाना विधी एवं न्यायसंगत है। यह है कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। यह है कि प्रार्थनापत्र वांछित न्यायालय शुल्क पर पैश है। यह है कि प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से काबिल समायत आप है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खाते की आराजी नम्बर 2173 पर आने जाने के लिए आराजी नम्बर 2186 के दक्षिणी मेर पर 12 फीट चौड़े रास्ते का खूलासा करवाया जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है।

दिनांक 09.07.2018 को विपक्षी अधिवक्ता श्री देवेन्द्र पोरवाल ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी पैश किया। यह है कि उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा विपक्षी की ग्राम मानपुरा में स्थित भूमि आराजी नम्बर 2186 की दक्षिणी मेर पर 12 फीट चौड़ा कदीमी रास्ता अवस्थित होना वर्णित कि[illegible] किए जाने का अनुतोष चाहा है। यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनाप[illegible] रास्ते को खुलासा करने के सम्बन्द में है। पूर्व में स्थित रा[illegible] धारा 251 ए (1) में नही है। उक्त प्रार्थनापत्र धारा 251 [illegible] आता है। जिसमें पूर्व में स्थित कदीमी या रिकॉर्डेड रास्ते [illegible] पर 45 दिवस की अवधि पंचायत द्वारा एवं उसके पंचायत तहसीलदार द्वारा र[illegible]सा करवाया जाता है। पूर्व सुखाधिकारयुक्त रास्ते को खुलासा करवाया जाता है। [illegible] में स्थित सुखाधिकारयुक्त खुलासा किए जाने का प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान में चलने योग्य न होकर प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा मूल प्रार्थनापत्र क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार विहिन होने से प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज फरमाया जावें।

ड अधिकारी
ाण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:11 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 18.07.2018 को प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। यह है कि प्रार्थनापत्र की कलम नम्बर 1 स्वीकार है। [illegible] अस्वीकार है। यह गलत है कि पूर्व में स्थित रास्ता खुलासा कराए जाने का प्रावधान धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं हो यह गलत है कि धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्व में स्थित कच्चे भी या रेकॉर्डेड रास्ते को अवरुद्ध किये जाने पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार को खुलासा कराया जाने का अधिकार हो। यह गलत है कि पूर्व में स्थित सुखाधिकार रास्ते को खुलासा करने का अधिकार न्यायालय [illegible] में वेष्टित न हो धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को काश्तकार की भूमि में काश्तकार को सुखाधिकार की अस्थायी रास्ता प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है। धारा 251(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सुखाधिकार की घोषणात्मक आज्ञा हेतु सक्षम दीवानी न्यायालय में कार्यवाही करने का अधिकार है। यह गलत है कि प्रार्थनापत्र प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी ने यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के लम्बे समय तक लम्बित करने के लिये लगाया है विपक्षी का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। विपक्षी ने झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमावें।

दिनांक 09.01.2020 को प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र पेश किया गया। यह है कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी और [illegible] की खाते व कब्जे की आराजी नम्बर 2173 भूमि बानूना में स्थित है। इस भूमि पर आने जाने का रास्ता ग्राम बानूना से [illegible] आने जाने के रोड से कटकर विपक्षी के खाते व कब्जे की आराजी नम्बर 2186 की मेर पर 12 फीट चौड़ा रास्ता अवस्थित है। प्रार्थी व पूर्व काश्तकार रास्ते का विगत 100 वर्षों से उपयोग उपभोग करते रहे हैं। विपक्षी ने आराजी नम्बर 2186 की दक्षिणी मेर पर स्थित रास्ते को सम्वत 2074 के आसाढ माह में [illegible] काश्त कर दी। रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। प्रार्थी का आराजी पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर रास्ते को खुलासा कराए जाने का अनुतोष चाहा है। विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का जवाब पेश नहीं किया [illegible] प्रार्थी के खेत पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता होना प्रकट नहीं किया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को लम्बे अन्तराल तक लम्बित रखने के लिए धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने आराजी नम्बर 2186 की दक्षिणी मेर पर 12 फिट चौड़ा कदीमी रास्ता अवस्थित होने का कथन किया है। रास्ते को खुलासा करने का अनुतोष चाहा है। पूर्व में स्थित रास्ते को खुलासा कराने का प्रावधान धारा 251 ए (1) में नहीं है। प्रार्थनापत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आता है। ऐसे प्रार्थनापत्र को सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायत, तहसीलदार का है। खारिज करने की प्रार्थना की। प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि में सुखाधिकार के अस्थायी रास्ते [illegible] जाने का अधिकार है। धारा 251 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुखाधिकार के घोषणा सक्षम दीवानी न्यायालय में पेश करने का अधिकार है। विपक्षी का प्रार्थनापत्र खारिज [illegible] की मांग की है। यह है कि धारा 151 जाप्ता दीवानी और राजस्व न्यायालय को अन्तर्निहित अधिकार न्याय हित में आदेश पारित करने के लिए प्रदत्त किये गये है। धारा 151 जाप्ता दीवानी इस प्रकार है।

secc 151 c.p.c. joining in herent power of court. No thing in this code shall be deemed [illegible] the inherent power of the court to make such orderd in [illegible] necessary for the orders justice or to prevent abuse [illegible]

न्यायालयों को [illegible] के तहत भी प्रार्थी [illegible] अनुतोष का हकदार है। अधिकार [illegible] 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी प्रार्थी इस अनुतोष का अधिकारी [illegible] न्यायालय को प्रदत्त [illegible] का अधिकार है। यह है कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रास्ते तथा अन्य किसी सुखाधिकार के अधिकारी को अस्थायी रूप से सुरक्षित करने का अधिकार है। सुखाधिकार के लिए दीवानी न्यायालयों में अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार को वंचित नहीं किया गया है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्थान सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन कर जोड़ा गया है। तहसीलदार ग्राम पंचायत और तहसीलदार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:11 IST
Reason: SelfAttested

धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिया जाने वाला अनुतोष पर्याप्त नही होने से तथा दीवानी न्यायालयो की प्रक्रिया लम्बी होने से काश्तकारो के हित में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जोड़ा गया है। समय अवधि भी तय की गई है। रास्तों को खुलासा करने का धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तुलना में अधिक विस्तार किया गया है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरोधाभाषी नही होकर पूरक है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान रास्ते के सुखाधिकार वाले प्रकरणो को अस्थायी रूप से निपटाने के लिए बनाए गए है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अत्यधिक आवश्यकता के मामले में कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है। या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा कराना चाहता है। ऐसे व्यक्तियो का प्रार्थनापत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय है। विद्यमान रास्तों के लिए भी न्यायालय श्रीमान को प्रार्थनापत्र सुनवाई का अधिकार है। प्रार्थी खेतो पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र पोषणीय है। विपक्षी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी चलने योग्य नही है। अत श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी खारिज फरमावे। विपक्षी को निर्देश फरमावें। कि वह जवाब प्रार्थनापत्र पेश करें।

दिनांक 17.09.2020 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा रास्ता दर्ज कराने की राहत नही चाहकर रास्ता खुलासा करने हेतु राहत चाही गयी है। यही यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी यदि रास्ता खुलासा कराना चाहता है तो तहसीलदार माण्डलगढ को धारा 251 के तहत आवेदन प्रस्तुत करे। एवं यदि रास्ता दर्ज कराना चाहता है तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के यहां धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा रास्ता खुलासा करवाने हेतु आवेदन किया है जो धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नही होकर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आदेश आज दिनांक 17.09.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:11 IST
Reason: SelfAttested